सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2013/234** दायर दिनांक **20.10.2013**

वादी		प्रतिवादीगण
1. भींवाराम उर्फ भीयाराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी पीपला का बास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. जोधाराम पुत्र रूघाराम 2. मंशाराम उर्फ मन्छा पुत्र रूघाराम 3. नन्दाराम पुत्र रामुराम 4. रामचन्द्र पुत्र रामुराम 5. भंवरी पुत्री रामुराम 6. राभी पत्नी रामुराम समस्त जाति जाट निवासीगण पीपला का बास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 7. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–
1. श्री रणजीत बलारा अधिवक्ता वादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक **08 09.2017**

विवादित सरहद मौजा पीपला का बास पटवार हल्का डाकीपुरा तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 523 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा के घोषणा खातेदारी बंटवारा व स्थाई निधेधाज्ञा बाबत वादी का वाद दिनांक 20.10.2013 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पंत्राक 3068 दिनांक 09.09.2016 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना के प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर किसी ने आपत्ति पेश नही की है। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षत प्राधिकार है तथा इनके द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान सहमत है। अत तहसीलदार डीडवाना के प्रस्तावित विभाजन को स्वीकार कर हस्तगत वाद अन्तिम डिक्री सादिर किया जात है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वाद, संख्या–2013 / 234
दायर दिनांक 21.10.2013, निणर्य दिनांक 08.09.2017
भींवाराम बनाम जोधाराम वगैराह

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा पीपला का बास पटवार हल्का डाकीपुरा तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 523 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पंत्राक 3068दिनांक 09.09.2016 में वर्णितानुसार भूमि के पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **08.09.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2013/234** — दायर दिनांक **21.10.2013**

वादी		प्रतिवादीगण
1. भींवाराम उर्फ भीयाराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी पीपला का बास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. जोधाराम पुत्र रूघाराम 2. मंशाराम उर्फ मन्छा पुत्र रूघाराम 3. नन्दाराम पुत्र रामुराम 4. रामचन्द्र पुत्र रामुराम 5. भंवरी पुत्री रामुराम 6. रामी पत्नी रामुराम समस्त जाति जाट निवासीगण पीपला का बास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 7. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 08.09.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रणजीत बलारा अधिवक्ता वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद मौजा पीपला का बास पटवार हल्का डाकीपुरा तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 523 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पंत्राक 3068 दिनांक 09.09.2016 में वर्णितानुसार भूमि के पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत......................–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **08.09.2017** को सरे इजलास जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner